

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/अका./2025/ 233

जबलपुर, दिनांक : 14/05/2025

प्रति,

स्मरण-पत्र

प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त
सामाजिक विज्ञान महाविद्यालयों के
प्राचार्यगण।

विषय:- भूगोल अध्ययन मण्डल के पुर्नगठन विषयक ।

संदर्भ:- वि.वि. के पत्र क्रमांक/अका./2025/178 जबलपुर दिनांक 24/03/2025

महोदय,

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (2) एवं (3) के अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान संकाय के अधीन भूगोल अध्ययन मण्डल का गठन किया जाना है । जिसमें धारा 28 (2) एवं धारा 28 (4) के निम्न प्रावधान के अन्तर्गत महाविद्यालयीन विभागाध्यक्षों का नाम निर्देशन किया जाना है यथा:-

Section 28(2)(ii): Two Heads of College Department in College teaching the said subject upto the postgraduate level to be nominated by the Kulpati by rotation according to seniority.

Section 28(2)(iv): Two Heads of College Department in College teaching the said subject upto the degree level to be nominated by the Kulpati by rotation to seniority.

अतः आपसे अनुरोध है कि सामाजिक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भूगोल विषय के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्षों के नाम जिनकी नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के तहत हुई है, इस कार्यालय को अविलम्ब भेजें। साथ ही स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष हैं यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो अलग-अलग कॉलम में।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

पृ० क्रमांक/अका./2025/ 233/अ.
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

प्रभारी उपकुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक : 14/05/2025

1. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।

प्रभारी उपकुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर